ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-6* September-2021
Anthology : The Research

समाचार-पत्रों द्वारा किया गया स्वत्वाधिकार हनन
Copyright Infringement By Newspapers

Paper Submission: 15/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09/2021

विजयेन्दु चतुर्वेदी
सहायक आचार्य,
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रतिलिप्याधिकार एक प्रकार की बौद्धिक सम्पदा है। इसका उद्देश्य लेखकों, संगीतज्ञों, कलाकारों और रूपकारों या डिजाइनरों को समुत्साहित करना है। आज प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि न केवल उन लोगों के लिए रुचिकर बन गयी है, जिनका सम्बन्ध साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत से सम्बन्धित कृतियों से है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्याधिकार विधि सम्पूर्ण रूप से विनिर्माणकारी उद्योगों को भी प्रभावित करती है। किसी समाचार पत्र के प्रकाशन का अधिकार साधारण विधि के अधीन सम्पत्ति का अधिकार माना गया है। समाचार पत्र के स्वत्वाधिकार का अधिकार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ५४ के अधीन अमूर्त सम्पत्ति के रूप में भी अन्तरणीय है। किसी समाचार पत्र के मुद्रण, सम्पादन और प्रकाशन के लिए किसी रिसीवर को भी नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करना प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६७ के उपबन्धों के अधीन होगा। प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि किसी समाचार पत्र के नाम की संरक्षा तब तक नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं ही साहित्यिक संरचना न हो। परन्तु ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, जिनमें समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी मानहानि शीर्षक के अधीन अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यदि किसी समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी किसी अन्य समाचार पत्र के नाम का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा उस अन्य समाचार पत्र के स्वत्वाधिकार का हनन माना जायेगा और वह भी तदनुरूप उत्तरदायी होगा। समाचार-पत्रों द्वारा किया गया स्वत्वाधिकार का हनन अवैध है और ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध सिविल और दाण्डिक दोनों तरह के उपचार प्रदान किये गये हैं। सिविल उपचार के अन्तर्गत उसे व्यादेश, नुकसानी, हिसाब पाने या अन्यथा सब ऐसे उपचार प्राप्त हो सकते हैं, जो विधि द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। दाण्डिक उपचारों के अन्तर्गत अतिलंधक को कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

Copyright is a type of intellectual property. Its purpose is to encourage writers, musicians, artists and sculptors or designers. Today, the law related to copyright has become of interest not only to those who are concerned with literary, theatrical or musical works. Apart from this, the copyright law also affects the manufacturing industries as a whole. The right to publish a newspaper is considered a right of property under ordinary law. The right of copyright in the newspaper is also transferable in the form of intangible property under section 54 of the Transfer of Property Act, 1882. A receiver may also be appointed for the printing, editing and publication of any newspaper, subject to the provisions of the Press and Registration of Books Act, 1867. The law relating to copyright cannot protect the name of a newspaper unless it is itself a literary composition. But there are also circumstances in which the owner of the newspaper can seek relief under the headline defamation. If the owner of any newspaper uses the name of any other newspaper, then he will be deemed to have violated the copyright of that other newspaper and he will also be liable accordingly. Copyright infringement by newspapers is illegal and both civil and criminal remedies have been provided against such infringement. Civil remedy may include injunction, damages, accountability or otherwise, all such remedies as are conferred by law. Under the criminal remedies, the trespasser can be punished with imprisonment and fine.

मुख्य शब्द स्वत्वाधिकार, बौद्धिक सम्पदा, मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक कृतियां, चलचित्र फिल्म, रिकार्ड।

Copyright, intellectual property, original literary, dramatic, musical, artistic works, film, film, record.

प्रस्तावना

स्वत्वाधिकार' शब्द का तात्पर्य उस अधिकार से है, जो आत्यन्तिक प्रकृति का है जिसका उपयोग करके कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग, व्यसन या निपटारा कर सकता है। उसकी परिधि में व्यापक रूप प्रतिलिप्याधिकार भी सम्मिलित है। प्रतिलिप्याधिकार एक प्रकार की बौद्धिक सम्पदा है आज के युग में मुद्रण, संगीत, संचार, मनोरंजन और उद्योगों के क्षेत्र में हुये तीव्र तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप इसके महत्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विधि के सन्दर्भ में प्रतिलिप्याधिकार' शब्द का तात्पर्य (१) साहित्य, नाटक, संगीत और कलात्मक कृतियों (२) चलचित्र और (३) ध्वन्याँकन के सम्बन्ध में या तो स्वयं अथवा किसी अन्य को कुछ करने के लिए प्राधिकृत करने का आत्यन्तिक अधिकार है। मूलतः प्रतिलिप्याधिकार प्रतिलिप्य का अधिकार है, अथवा उस कृति की पुनः प्रस्तुति का अधिकार है, जिसमें प्रतिलिप्याधिकार अवस्थित है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा १४ (क) के अनुसार प्रतिलिप्याधिकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात, किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करना या उसका किया जाना प्राधिकृत करना-(१) कृति को उसके किसी तात्विक रूप में पुनः प्रस्तुत करना, जिसमें इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी भी माध्यम से उसका भण्डारण भी सम्मिलित है, (२) कृति की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जारी करना, जिन्हें पहले से ही प्रसारित नहीं किया गया है, (३) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना अथवा जनता में उसको संचरित करना, (४) कृति के सम्बन्ध में कोई चलचित्र फिल्म अथवा स्वर का रिकार्ड बनाना, (५) कृति का कोई अनुवाद करना, (६) कृति का कोई अनुकूलन करना, और (७) कृति के भाषान्तर या अनुकूलन के सम्बन्ध में उपयुक्त में से किसी कार्य को करना। उक्त धारा १४ से परे प्रतिलिप्याधिकार किसी अन्य अधिकार तक विस्तृत नहीं है। सम्बन्धित कार्यों को करने का आत्यन्तिक अधिकार न केवल सम्पूर्ण कृति के सन्दर्भ में विस्तृत है, अपितु वह उसके किसी सारवान भाग तक भी विस्तृत है और वह उसके अनुवाद अथवा अनुकूलन तक भी विस्तृत है। प्रतिलिप्याधिकार की अवधि कृति के लेखन की संपूर्ण आयु के बाद भी ६० वर्षों तक की होती है, यद्यपि उसके कुछ अपवाद भी हैं।

अध्ययन का उद्देश

स्वत्वाधिकार का उद्देश्य

विधि के सन्दर्भ में स्वत्वाधिकार अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उद्देश्य लेखकों, संगीतज्ञों, कलाकारों और रूपकारों या डिजाइनरों को समुत्साहित करना है, ताकि वे मूल कृतियों की रचना कर सकें और इस निमित्त उन्हें कुछ समय तक के लिये बौद्धिक लाभ प्राप्त करने के आत्यन्तिक अधिकार से पुरस्कृत किया जाता है। आर्थिक लाभ साधन का कार्य, प्रकाशकों, चलचित्र निर्माताओं और रिकार्ड विनिर्माताओं को ऐसे आत्यन्तिक अधिकार की अनुज्ञप्ति प्रदान करके की जाती है। वे लोग जो स्वत्वाधिकार पर आर्थिक रूप से धन का विदोहन कहते हैं, वे प्रतिलिप्याधिकार कानून से उनकी अपेक्षा लाभान्वित होते हैं, जो लोग प्रतिलिप्याधिकार कृति के स्रष्टा होते हैं।

विषय विस्तार

स्वत्वाधिकार और तकनीकी विज्ञानः तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति ने स्वत्वाधिकार सामग्री के पुनरुत्पादन को सरल और सस्ता बना दिया है। परन्तु उसी के साथ-साथ प्रतिलिप्याधिकार कृति की चोरी को भी आसान और नियंत्रण को कठिन बना दिया है। प्रतिलिप्याधिकार कृति की चोरी की गंभीरता को केवल तब अनुभूत किया जा सकता है। जब टेपरिकार्डर, वीडियो कैसेट रिकार्डर, मैग्नेटिक टेप्स और रिप्रोग्राफिक जैसी नयी युक्तियों का विकास हो चुका था। तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में किये गये इन अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप स्वाधिकार के अतिलंघन को न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रदान कर दिया गया है।

आज प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि न केवल उन लोगों के लिए रुचिकर बन गयी है,

जिनका सम्बन्ध साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत से सम्बन्धित कृतियों से है, अपितु यह उन लोगों के लिए भी रुचिकर हो गयी है, जो कलाकार, परिधान के डिजाइनर, वास्तुविदों, प्रकाशकों, चलचित्र, फिल्मों से सम्बन्धित व्यक्यिों, प्रसारण, अधिकारियों और मुद्रण, प्रकाशन तथा मनोरंजन, उद्योगों से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्याधिकार विधि सम्पूर्ण रूप से विनिर्माणकारी उद्योगों को भी प्रभावित करती है। प्रतिलिप्याधिकार यन्त्रों और उसके कल-पूर्जो के विनिर्माण में प्रयुक्त मौलिक औद्योगिक रेखाचित्रों में भी अवस्थित होता है। ऐसे रेखाचित्र पर आधारित किसी यंत्र अथवा उसके कल-पूर्जे के मूल रेखाचित्र को यदि देखा भी न गया हो और उससे उस यंत्र की अनुकृति ही की गई हो, जो उस रेखाचित्र के अनुसार विनिर्मित की गयी है तो इस तरह रेखाचित्र के अनुसार बनायी गयी वस्तु को पेटेन्ट की अपेक्षा अधिक संरक्षा प्राप्त होती है। पेटेन्ट तो १४ वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है, जबकि प्रतिलिप्याधिकार से प्राप्त संरक्षण साठ वर्षों के बाद समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्याधिकार को अर्जित करने के लिए किन्हीं औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती, जबकि किसी पेटेन्ट को प्राप्त करना एक श्रम साध्य और विलम्बकारी प्रक्रिया है और उसमें अधिक खर्च भी अन्तर्वलित है।

समाचार पत्रों का स्वत्वाधिकारः किसी विशेष नाम के अधीन किसी समाचार पत्र के प्रकाशन का अधिकार साधारण विधि के अधीन सम्पत्ति का अधिकार माना गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी अन्य सम्पत्ति की तरह समाचार पत्रों के स्वत्वाधिकार अन्तरित किया जा सकता है, अथवा उसकी वरासत की जा सकती है। किसी समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी की मृत्यु के बाद समाचार-पत्र की उसके विधिक प्रतिनिधियों में अथवा दिवालियापन की स्थिति में सरकारी समनुदेशकीय में संक्रांति हो जाती है। समाचार पत्र के स्वत्वाधिकार का अधिकार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ५४ के अधीन अमूर्त सम्पत्ति के रूप में भी अन्तरणीय है। ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण के लिए यदि कोई संविदा की जाती है, तो उसे विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित भी कराया जा सकता है। किसी समाचार पत्र के मुद्रण, सम्पादन और प्रकाशन के लिए किसी रिसीवर को भी नियुक्त किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी विधि नहीं है जो किसी समाचार पत्र के स्वामी को किसी समाचार-पत्र के प्रकाशन के स्थान को परिवर्तित करने से निर्बन्धित करती है, तो किसी भी अन्य कारबार की तरह समाचार पत्र के प्रकाशन को देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है, परन्तु ऐसा करना प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६७ के उपबन्धों के अधीन होगा। परन्तु यह भी कि विद्यमान समाचार पत्र के स्थान पर किसी नये समाचार पत्र को न निकाला जाये। चूंकि, किसी समाचार पत्र का स्वत्वाधिकार साधारणतया साहित्यिक संरचना नहीं होता, अतः प्रतिलिप्याधिकार कानून के अधीन उसकी संरक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु प्रतिलिप्याधिकार कानून द्वारा संरक्षित स्वत्वाधिकार की रचना तब हो सकती है, जब उसमें मौलिक संरचना अन्तर्वलित हो।

समाचार पत्रों में प्रकाशित विषय वस्तु से सम्बन्धित स्वत्वाधिकारः मुद्रण उत्पादों से सम्बन्धित अधिकारों को प्रतिलिप्याधिकार की संज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए पुस्तकों, समाचार-पत्रों अथवा पत्रिकाओं में लिखी हुई विषय वस्तुओं को भी सम्पत्ति का पद नाम प्रदान किया गया है और ऐसी सम्पत्ति को आज बौद्धिक सम्पदा के नाम से जाना जाता है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ इसी अधिकार से सम्बन्धित एक साधारण अधिनियम है और यह अधिनियम उस सम्पत्ति से सम्बन्धित साधारण विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने श्रम, प्रज्ञा अथवा कौशल के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया गया है। ऐसा उत्पाद उसकी सम्पत्ति है और वह उसकी बौद्धिक सम्पदा है। प्रतिलिप्याधिकार से उद्भूत समाचार पत्रों का स्वत्वाधिकार इस संकल्पना पर आधारित है कि जिस प्रकार श्रम और कौशल से उत्पादित कोई वस्तु मनुष्य की सम्पदा है, उसी प्रकार बौद्धिक श्रम और निपुणता से सर्जित मूल कृति भी उसकी सम्पदा है उस पर और उसकी प्रतिलिपि पर उसका अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा और उसके अतिलंघन पर दण्ड की व्यवस्था की गयी है, ताकि बौद्धिकों की इस चल सम्पत्ति को चुराया न जा सके और रचयिताओं को उनकी रचनाओं के लाभ से वंचित न किया जा सके।

प्रोफेसर (डॉ०) नन्द किशोर त्रिखा का अभिमत है कि न केवल राष्ट्रीय सीमाओं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिलिप्याधिकार की व्यवस्था है। इसका शुभारंभ रोमन साम्राज्य में हुआ, परन्तु मूलतः उसे उस समय प्रकाशकों के अधिकार के रूप में मान्य किया गया था, जबकि आज बुनियादी तौर पर वह कृति के रचयिता का अधिकार है। विश्व में सर्वप्रथम प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि सन् १७१० ई० में इंग्लैण्ड में पारित की गयी और उसे 'ऐक्ट ऑफ अनु' का नाम प्रदान किया गया है। इस विधि में प्रतिलिप्याधिकार को रचनाकार की संपूर्ण आयु और उसके बाद चैदह वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। आज की वर्तमान विधि में इसकी अवधि ६० वर्ष निर्धारित की गयी है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की संशोधित धारा २२ के अनुसार रचयिता के जीवन काल में प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में, जो फोटोग्राफ से भिन्न हो, प्रतिलिप्याधिकार उस वर्ष के, जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में ६० वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। पहले यह अवधि ५० वर्ष थी, जिसे सन् १९९२ के संशोधन अधिनियम द्वारा बढ़ाकर ६० वर्ष कर दिया गया है। प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित राष्ट्रीय विधि विदेशों में भी अपने नागरिकों के प्रतिलिप्याधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है। ऐसा अन्य देशों के नागरिकों के परस्पर आधार पर अपने यहाँ यह अधिकार देकर या इस पर प्रतिबन्ध लगाकर किया जाता है। विभिन्न देशों में प्रतिलिप्याधिकार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय संविदायें स्वीकृत की गयी हैं। इनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संघ का गठन किया गया है।

भारत में प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि सबसे पहले १८४७ में निर्मित की गयी थी, उससे पूर्व इस विषय पर इंग्लैण्ड की सामान्य विधि प्रवर्तित की जाती थी, किन्तु ३१ अक्टूबर १९१२ ई० को इंग्लिश कॉपी राइट अधिनियम, १९११ को लागू किया गया। दो वर्ष बाद सन् १९१४ ई० में इंग्लैण्ड के इस अधिनियम के आधार पर भारतीय स्थितियों के सन्दर्भ में कतिपय परिवर्तनों के साथ एक नया भारतीय कापीराइट अधिनियम प्रवर्तित किया गया। सन् १९५६ ई० में जब इंग्लैण्ड में नये कॉपीराइट अधिनियम का निर्माण किया गया, तब भारतीय कापीराइट अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी, क्योंकि प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित भारतीय विधि मूलतः इंग्लैण्ड की प्रतिलिप्याधिकार विधि पर आधारित थी। सन् १९५७ ई० में भारत की संसद द्वारा वर्तमान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित किया गया।

कृतियाँ जिनमें प्रतिलिप्याधिकार अस्तित्वशील हैः निम्नलिखित वर्गों की कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व सम्पूर्ण भारत में होता है, अर्थात (क) मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियां, (ख) चलचित्र फिल्म और (ग) रिकार्ड। इस प्रकार यह प्रकट है कि प्रतिलिप्याधिकार न केवल पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के विषय में है, अपितु नाट्य, संगीत और कला, वास्तुकला, फिल्मों और रिकार्डों के सम्बन्ध में भी है। प्रतिलिप्याधिकार के लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित कृति मौलिक हो और कृति के मौलिक होने का तात्पर्य यह है कि उसे उक्त रचयिता से निःसृत होना चाहिये जो उस अधिकार का दावा कर रहा है, परन्तु इसका तात्पर्य यह कभी भी नहीं है कि कृति को नितान्त रूप से नयी खोज या नये विचार पर आधारित होना चाहिए, तभी इस अधिकार का दावा किया जा सकता है। न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विचारों पर कोई प्रतिलिप्याधिकार नहीं होता। यह अधिकार विचारों की मुद्रित या लिखित अभिव्यक्ति या उसके प्रस्तुतिकरण के कौशल या श्रम से सम्बन्धित होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि अभिव्यक्ति या प्रस्तुतीकरण बिलकुल नये या मौलिक तरीके से की गयी हो। आवश्यक यह है कि जिस कृति पर प्रतिलिप्याधिकार का दावा किया गया है वह किसी अन्य कृति की प्रतिलिपि न हो।

प्रतिलिप्याधिकार का स्वामित्व और स्वामी के अधिकारः किसी कृति का रचयिता उसमें प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है, परन्तु इस नियम के पाँच अपवाद हैं, जो निम्न हैं। अर्थात-(क) यदि रचयिता ने किसी समाचार पत्र, पत्रिका या अन्य नियतकालीक पत्र में प्रकाशन के लिए उसके स्वत्वाधिकारी की सेवा या शिक्षुता की संविदा के अन्तर्गत कृति की रचना की है,

तो उस समाचार पत्र पत्रिका या सामयिकी का स्वत्वाधिकारी उस कृति में प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होगा। परन्तु उसका यह अधिकार उस कृति के अपनी स्वयं की पत्र-पत्रिका में प्रकाशन या पुनरुत्पादन के सम्बन्ध में ही विद्यमान रहता है। अन्य सब बातों के सम्बन्ध में कृति के प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी उसका रचयिता ही होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी पत्र-पत्रिका के स्वत्वाधिकारी को किसी कृति को पुस्तक या पत्रिका आदि के रूप में छापने का प्रतिलिप्याधिकार नहीं होता। यह अधिकार उस कृति के रचयिता का होता है। इसी तरह, चूँकि, कोई स्वतंत्र पत्रकार किसी समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी की सेवा या उसकी शिक्षुता के अधीन नहीं होता, इसलिए उसकी कृतियों में प्रथम प्रतिलिप्याधिकार ऐसे पत्रकार का होता है न कि समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी का। (ख) यदि कोई फोटो, चित्र, रंग चित्र, फिल्म आदि पारिश्रमिक लेकर किसी अन्य के लिये तैयार नहीं किया गया है, तो तब प्रतिकूल किसी करार के अभाव में प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी वह व्यक्ति होता है, जिसके लिए वह फोटो आदि तैयार किया गया है। (ग) यदि कोई कृति किसी करार के अधीन ऐसी सेवा या शिक्षुता के दौरान रची गयी है, जिस पर उक्त (क) और (ख) अपवाद लागू नहीं होता, तो किसी ततप्रतिकूल करार के अभाव में कृति के रचयिता का नियोजक प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है। (घ) किसी सरकारी कृति की दशा में ततप्रतिकूल किसी करार के अभाव में सरकार प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है। (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों में प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी सम्बन्धित संगठन होता है। परन्तु किसी विद्यमान या भावी कृति में प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति को अपना अधिकार समनुदिष्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा वह केवल तब कर सकता है, जब वह लिखित रूप में हो और समनुदेशकीय या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

समाचार पत्र और स्वत्वाधिकारः प्रतिलिप्याधिकार से सम्बन्धित विधि किसी समाचार पत्र के नाम की संरक्षा तब तक नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं ही साहित्यिक संरचना न हो। परन्तु ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, जिनमें समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी मानहानि अथवा 'चला देना' (पासिंग ऑफ) शीर्षक के अधीन अनुतोष प्राप्त कर सकता है, जब अन्यों के द्वारा ऐसे या उसी नाम के प्रयोग के परिणामस्वरूप समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी का कारबार अथवा उसकी ख्याति प्रभावित हुई हो, अथवा उसको आर्थिक क्षति हुई हो, अथवा वह कपट का शिकार हुआ हो। प्रकट है कि यदि किसी समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी किसी अन्य समाचार पत्र के नाम का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा उस अन्य समाचार पत्र के स्वत्वाधिकार का हनन माना जायेगा और वह भी तदनुरूप उत्तरदायी होगा।

जहाँ तक किसी समाचार-पत्र अथवा किसी अन्य सामयिकी में प्रकाशित किसी विषय वस्तु के प्रतिलिप्याधिकार का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि वह समाचार पत्र अथवा सामयिकी उस प्रकाशित विषय वस्तु का प्रतिलिप्याधिकार अर्जित कर सकता है, यदि वह मौलिक साहित्यिक कृति की कोटि में आता है, जैसे कि कोई लेख अथवा कोई लिखित रिपोर्ट। प्रकट है कि किसी समाचार पत्रका स्वत्वाधिकारी यदि किसी अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित इस तरह की विषय वस्तु के प्रतिलिप्याधिकार का अंतिलंघन करता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। जहाँ तक किसी समाचार पत्र में अपने लेख अथवा रिपोर्ट आदि के माध्यम से योगदान करने वाले किसी रचनाकार का प्रश्न है, यह प्रश्न उत्पन्न किया जा सकता है कि क्या समाचार पत्र में प्रकाशित लेख या रिपोर्ट का प्रतिलिप्याधिकार स्वयं समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी में निहित होता है, अथवा उस समाचार पत्र में अपने लेख या रिपोर्ट आदि के माध्यम से योगदान करने वाले रचयिता का ? इसका उत्तर प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम १९५७ की धारा ५ के परन्तुक द्वारा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए (१) यदि लेख अथवा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे किसी सेवक अथवा प्रशिक्षु द्वारा योगदान किया गया है, जो कि समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित अथवा पुनः प्रकाशित विषय वस्तु का प्रतिलिप्याधिकार समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी में होगा और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रतिलिप्याधिकार उस व्यक्ति में निहित होगा,

जिसने उस समाचार पत्र में योगदान किया है। आचार्य डॉ० दुर्गादास बसु का अभिमत है कि समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी केवल तब प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी होगा, जब ऐसी कृति के लिये नियोजन की संविदा समाचार पत्र के लिए की गयी हो। (२) यदि कृति की प्रकृति नियोजन की संविदा में किये गये कार्य से भिन्न है, अर्थात यदि वह अनुवाद, अथवा कोई व्याख्यान है, तो उसका योगदानकर्ता प्रतिलिप्याधिकार का हकदार होगा, न कि समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी। (३) सेवक अथवा प्रशिक्षु द्वारा समाचार पत्र के लिए लेख या रिपोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी योगदान किया गया है, उसे नियोजन के अनुक्रम में किया गया होना चाहिए। यदि कृति का कोई अंश नियोजन की अवस्थिति में और शेष अंश नियोजन समाप्ति के बाद पूरा किया गया है, तो पूर्ववर्ती अंश का प्रतिलिप्याधिकार समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी में होगा और शेष का प्रतिलिप्याधिकार सेवक अथवा प्रशिक्षु में निहित होगा। तथापि, यदि समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी और ऐसे सेवक अथवा प्रशिक्षु के बीच कोई ततप्रतिकूल संविदा है, तो प्रतिलिप्याधिकार उस संविदा के अनुरूप होगा। इसी तरह समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी समनुदेश द्वारा भी किसी भी व्यक्ति के लेख अथवा रिपोर्ट के प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी हो सकता है।

प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघनः प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी को कृति के सम्बन्ध में कतिपय कार्यों को करने का आत्यन्तिक अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्राधिकार के इनमें से किसी कृति को करता है, तो वह उस कृति के प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन करता है। अधिकारों की प्रकृति कृति की प्रकृति पर निर्भर करती है। कृति को किसी भी सारवान से रूप से पुनरुत्पादित करना, संवैधानिक रूप से उसको प्रस्तुत करना और कतिपय रूपों में उस कृति को जनता के बीच संचरित करना, ऐसे साधारण तरीके हैं, जिनके द्वारा किसी कृति के प्रतिलिप्याधिकार का फायदे के लिए वाणिज्यिक विदोहन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्राधिकार के फायदे के लिए कृति का वाणिज्यिक विदोहन करता है तो वह प्रतिलिप्याधिकार का अतिलघन करता है। किसी समाचार पत्र का स्वत्वाधिकारी इस तरह यदि किसी कृति के प्रतिलिप्याधिकार का बिना किसी प्राधिकार के वाणिज्यिक विदोहन करता है, तो वह भी प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन करता है प्रतिलिप्याधिकार के इस तरह के अतिलंघन के विरुद्ध तीन प्रकार के उपचार उपलब्ध हैय अर्थात सिविल, दाण्डिक और प्रशासकीय। तथापि बिना किसी अतिलंघन के कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रतिलिप्याधिकार का उपयोग किया जा सकता है।

समाचार पत्र द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन के लिये उन्मुक्तिः यह उन्मुक्ति निम्न प्रकार की हो सकती है, अर्थात (१) किसी अन्य के प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के सम्बन्ध में विधि द्वारा लोक हित में समाचार पत्र के पक्ष में कतिपय अपवाद उपबन्धित किये गये हैं।

(क) किसी समाचार पत्र पत्रिका या वैसी ही सामयिकी में किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति का पुनरुत्पादन प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ के अधीन अतिलंघन का निर्माण नहीं करता हैय परन्तु यह तब जब -(प) जब वह कृति का उचित प्रयोग संरचित करता हो, और जब व सामयिक घटनाओं की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिये की गयी हो। (पप) इसी तरह किसी समाचार पत्र अथवा सामयिकी में सामयिक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक विषयों पर किसी लेख का पुनरुत्पादन तब तक अतिलंघन का निर्माण नहीं करता, जब तक कि उस लेख के रचयिता ने अभिव्यक्त रूप से उसके पुनरुत्पादन अधिकार को स्वयं अपने में आरक्षित न कर लिया हो, (पपप) इसी तरह किसी समाचार पत्र-पत्रिका या अन्य सामयिकी में ऐसे व्याख्यान की रिपोर्ट का प्रकाशन अतिलंघन की कोटि में नहीं आता, जिसकी सार्वजनिक रूप से वाक् प्रस्तुति की गयी हो।

(२) यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा-५२(१) (ख) (प) (५) अथवा (६) में उल्लिखित किसी समाचार पत्र के कतिपय विशेषाधिकारों का विशेष उल्लेख उस समाचार पत्र को उसी धारा

के अन्य उपखण्डों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे अपवाद के लाभ से वंचित नहीं करता, जो कि जन वर्ग के समस्त सदस्यों को उपलब्ध है। उदाहरण के लिये समाचार पत्र उक्त धारा-५२(१) (थ) में उल्लिखित अपवाद का भी लाभ ले सकता है।

कतिपय अन्य दोषपूर्ण कार्य जिनसे प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन नहीं होताः निम्नलिखित ऐसे भी कृति हैं, जो प्रकटतः दोषपूर्ण तो हैं, परन्तु जिनसे प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ के प्रयोजनों के लिये प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। यद्यपि वे विधि के किसी अन्य शाखा के अन्तर्गत आ सकते हैं।

(१) किसी ऐसी कृति का विनियोग जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम १९५७ की धारा (म) के अन्तर्गत कृति की परिभाषा में नहीं आता, (२) यदि कृति जिसके प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन हुआ है, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा १३(१) (क) के अधीन मौलिक कृति नहीं हैय परन्तु वह स्वयं में किसी अन्य मौलिक कृति की अतिलंधित प्रति है अथवा सभी के लिये उपलब्ध ऐसी सामग्रियों का संकलन है जिसको तैयार करने में कोई मौलिकता नहीं है।

(३) यदि परिवादित कार्य ऐसे किसी कार्य का निर्माण नहीं करता, जो कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा-१४ (क) में उल्लिखित है। उदाहरण के लिये पुनरुत्पादन, अनुकूलन, प्रकाशन, अनुवाद।

(४) जहाँ प्रतिवादी समाचार पत्र का कार्य प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ५१ (क) के अधीन न्यायानुमोद्य है, अर्थात जहाँ उसको प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी अथवा प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे कार्य को करने के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है।

(५) यदि कार्य प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ५२ के किसी खंडों में उल्लिखित किन्हीं अपवादों की कोटि का है। उदाहरण के लिये किसी समाचार-पत्र में सामयिक घटनाओं के अनुसंधान, पुनर्विलोकन या रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिये किसी साहित्यिक कृति का कोई उचित प्रयोग।

लेखक और प्रकाशक के बीच पाण्डुलिपि में प्रतिलिप्याधिकारः जब कोई लेखक किसी प्रकाशन को, चाहें वह किसी समाचार पत्र का ही प्रकाशक क्यों न हो, अपनी पाण्डुलिपि परिदत्त करता है, तो उसके सम्बन्ध में प्रकाशक के अधिकार संविदा के उन निर्बन्धनों पर निर्भर करते हैं, जो उस पाण्डुलिपि के प्रकाशन आदि के सम्बन्ध में लेखक और प्रकाशक के बीच सम्पन्न हुई है। इस तरह पाण्डुलिपि का लेखक प्रकाशक को पाण्डुलिपि की प्रतियों के प्रकाशन और विक्रय के लिये अपने पक्ष में रायल्टी के भुगतान के आधार पर प्राधिकृत कर सकता है। इस तरह के किसी प्रकरण में प्रकाशक लेखक द्वारा मंजूर की गयी लिखित अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के अनुसार प्रकाशन और विक्रय का केवल अनुज्ञापन प्राप्त करता है। उस अनुज्ञप्ति से परे प्रकाशक को न तो कोई अन्य अधिकार प्राप्त होता है और न ही प्रतिलिप्याधिकार में ऐसा कोई हित, जो कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा १४ में विनिर्दिष्ट है। परन्तु इस तरह की लिखित अनुज्ञप्ति प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन के रूप में भी कार्य कर सकती है, यदि उसके निबन्धनों से ऐसा अर्थान्वयन संभव होता है। किसी लेख के अभाव में प्रतिलिप्याधिकार में किसी हित का न तो कोई समनुदेशन ही हो सकता है और न ही कोई अनुज्ञप्ति, चाहे भले ही लेखक ने प्रकाशन के लिये पाण्डुलिपि को सुपुर्द क्यों न कर दी हो।

किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किसी लेख अथवा किसी पुस्तक की पाण्डुलिपि का प्रतिलिप्याधिकार, चूंकि, उसके लेखक में निहित होता है, इसलिये उसके पास यह अधिकार बना रहता है कि प्रकाशक द्वारा उसको परिवर्तित किये जाने से वह उसको रोके, ताकि प्रकाशक पाण्डुलिपि की शैली में कोई परिवर्तन न कर सकेय क्योंकि वह लेखक की सम्पदा होती है। इसी तरह, पाण्डुलिपि का लेखक मानहानि के लिये दावा भी कर सकता है यदि प्रकाशक ने उसकी कृति को इतना विकृत बना दिया है कि उसके परिणामस्वरूप लेखक की ख्याति क्षतिग्रस्त हो रही

हो। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ५७ द्वारा भारत में किसी कृति के रचयिता को कतिपय विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। धारा ५७(१) के अनुसार रचयिता के प्रतिलिप्याधिकार के पृथक रूप से और उक्त प्रतिलिप्याधिकार के पूर्णतः या भागतः समनुदेशन के पश्चात भी किसी कृति के रचयिता को, (क) उस कृति का रचयिता होने का दावा करने काय और (ख) उस कृति के किसी विरूपण, विकृत किये जाने और रूपान्तरण या उक्त कृति के सम्बन्ध में किसी अन्य कार्य को, जो प्रतिलिप्याधिकार की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाता है, यदि ऐसे विरुपण, विकृत किये जाने, उपान्तरण या अन्य कार्य से उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, अवरुद्ध करने या उनके बारे में नुकसानी का दावा करने का अधिकार होगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति लेखक की पाण्डुलिपि की कोई निकृष्ट अनुकृत बनाता है और वह ऐसा इसलिये करता है, ताकि लोग उस रचना से होकर उसको लेखक की कृति समक्ष बैठें, तो लेखक उसके लिये नुकसानी की वसूली कर सकता है और ऐसा वह अपने नाम को गलत ढंग से 'चला देने के आधार पर कर सकता है।

निष्कर्ष

इस तरह स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों द्वारा किया गया स्वत्वाधिकार का हनन अवैध है और ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध सिविल और दाण्डिक दोनों तरह के उपचार प्रदान किये गये हैं। सिविल उपचार के अन्तर्गत उसे व्यादेश, नुकसानी, हिसाब पाने या अन्यथा सब ऐसे उपचार प्राप्त हो सकते हैं, जो विधि द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। दाण्डिक उपचारों के अन्तर्गत अतिलंधक को कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। समाचार पत्र और उनसे सम्बन्धित पत्रकारिता लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ है। उनके द्वारा न केवल ज्ञान का प्रसार किया जाता है, जनता को शिक्षित बनाने का महान कार्य किया जाता है, अपितु लोकतंत्र के सभी संस्थाओं और निकायों को स्वच्छ आवरण की ओर प्रेरित किया जाता है। इसलिये यह अपेक्षा की जाती है कि समाचार पत्र अपने क्षेत्र में ऋजुता के साथ अपने महान कर्तव्यों को निष्पादित करेंगे और स्वत्वाधिकारों के हनन जैसी बुराइयों से अपने को दूर रखते हुए राष्ट्र को शुचिता के मार्ग पर ले जाने का पथ प्रशस्त करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *विधि शब्दावली (1988) भारत सरकार (विधि और न्याय मंत्रालय), नई दिल्ली।*
2. *प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा-14*
3. *दुर्गादास बसु, लॉ आफ द प्रेस 1996, पृष्ठ 158*
4. *डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदीः भारत का संविधान 2002 पृष्ठ 502*
5. *अप्पाराव बनाम लक्ष्मीनारायण, एआईआर, 1962 एस0सी0 586*
6. *प्रिंटर्स मैसूर बनाम भारत संघ, एआईआर 1966, मैसूर 237*
7. *देखें, डॉ0 नंद किशोर त्रिखा, प्रेस विधि 1998 पृष्ठ 137-138*
8. *प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा-17,18,19*
9. *पी0 नारायण इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी लॉ, पृष्ठ 251*
10. *दुर्गादास बसु, लॉ आफ द प्रेस 1996, पृष्ठ 165-167*